UPLK010093242023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1776 / 2023

सरकार **बनाम** शम्भूनाथ उर्फ सूरज

अ0सं0 102 / 2023
धारा—363, भा0द0सं0
धारा 3(2)va एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट
थाना—मड़ियाव, लखनऊ।

03—04—2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त शम्भूनाथ उर्फ सूरज जेरे जमानत मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 भा0द0सं0 धारा 3(2)v एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 30—05—2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010093242023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1776/2023

सरकार **बनाम** शम्भूनाथ उर्फ सूरज

अ0सं0 102/2023
धारा—363, भा0द0सं0
धारा 3(2)va एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट
थाना—मड़ियाव, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त शम्भूनाथ उर्फ सूरज को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ

प्रथमः यह कि दिनांक 03.03.2023 समय अदम तहरीर, थाना मड़ियाव जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ईएस—1/241 से0 ए सीतापुर रोड योजना से आप अभियुक्त शम्भूनाथ उर्फ सूरज द्वारा वादी मुकदमा राम गोपाल की नाबालिग पुत्री सौम्या को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना बहला—फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा—363 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः—यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के वादी राम गोपाल की नाबालिग पुत्री सौम्या के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा—3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 03—04—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 03—04—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085